Speed Post

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. Press Clipping/7/2019/District - Alirajpur(MP)/RU-III **Date: 20.11.2019**

To,

1. **The Chief Secretary,**
   Govt. of Madhya Pradesh,
   Sikandari Saray, Bhopal,
   Madhya Pradesh - 462010

2. **Director General of Police,**
   Jail Rd, Jahangirabad,
   Bhopal – 462004,
   (Madhya Pradesh)

Sub: Minutes of sitting taken by Hon'ble Chairperson of National Commission for Scheduled Tribes, (NCST) on. 16.10.2019 in the matter News Item dated 13.08.2019 appeared in "The Indian Express", Delhi edition regarding Tribals made to drink urine in police custody in Alirajpur district of Madhya Pradesh.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of Minutes of the sitting taken by Dr. Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) on **16.10.2019 at 12.30 p.m.** for information and necessary action.

It is, requested that action taken report in this regard may please be sent to the Commission within 15 days.

Encl: As above

Yours faithfully,

(R.K. Dubey)
Assistant Director

Copy for information:

1. PS to Hon'ble Chairperson, NCST
2. SAS, NIC, NCST upload on the web site.

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- Press clipping/7/2019/Alirajpur(MP)/RU-III)

'द इंडियन एक्सप्रेस' समाचार पत्र के दिल्ली अंक में दिनांक 13.08.2019 को 'आदिवासियों को मध्यप्रदेश के अलीराजपुर जिले में पुलिस अभिरक्षा में पेशाब पिलाने' शीर्षक से समाचार प्रकाशित होने के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष डॉ. नंद कुमार साय जी की अध्यक्षता में दिनांक 16.10.2019 को दोपहर 12.30 बजे आयोग में आयोजित बैठक का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 16.10.2019

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

---

1. 'द इंडियन एक्सप्रेस' समाचार पत्र के दिल्ली अंक में दिनांक 13.08.2019 को 'आदिवासियों को मध्यप्रदेश के अलीराजपुर जिले में पुलिस अभिरक्षा में पेशाब पिलाने' शीर्षक से समाचार प्रकाशित होने के मामले में आयोग द्वारा संज्ञान लेकर दिनांक 13.08.2019 को मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जिला कलेक्टर अलीराजपुर एवं पुलिस अधीक्षक, अलीराजपुर को नोटिस जारी कर जानकारी मांगी गई थी।
2. प्रकरण में कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला अलीराजपुर (मध्यप्रदेश) से दिनांक 28.08.2019 का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें बताया गया कि मामले में 4 पुलिसकर्मियों थाना प्रभारी नानपुर उपनिरीक्षक दिनेश चौगड़, आरक्षक 188 राहुल, आरक्षक 408 विजय चौहान एवं आरक्षक 83 मनोहर जाटव को दिनांक 10.08.2019 के आदेश से तत्काल निलंबित कर दिया गया। अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अनुभाग जोबट के जांच प्रतिवेदन के अनुसार 8 पुलिसकर्मियों द्वारा पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध 5 व्यक्तियों – राहुल, आदित्य, यशवंत, विकास एवं रितेश के साथ मारपीट करना सिद्ध करना पाया गया है किन्तु पेशाब पिलाने के संबंध में जांच के दौरान कोई साक्ष्य नहीं पाए गए।
3. चूंकि आयोग को रिपोर्ट में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को लागू किए जाने, राहत राशि के भुगतान आदि का कोई उल्लेख नहीं था और केवल विभागीय जांच किए जाने का ही उल्लेख किया गया था अतः प्रकरण में माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार दिनांक 16.10.2019 को दोपहर

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

12.30 बजे बैठक निर्धारित की गई। इस संबंध में दिनांक 09.10.2019 को मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन व पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश को बैठक का नोटिस प्रेषित किया गया।

4. दिनांक 16.10.2019 को निर्धारित बैठक में मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की ओर से श्री सरोज चौकसे, अतिरिक्त निदेशक (पीसीआर सेल) और सुधीर श्रीवास्तव, सहायक योजना अधिकारी तथा पुलिस महानिदेशक की ओर से श्री वरुण कपूर, एडीजी (इंदौर जोन) व श्री आर.ई भास्कर, एसडीपीओ (अलीराजपुर) उपस्थित हुए।
5. आयोग द्वारा मध्यप्रदेश पुलिस के अधिकारियों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया, एडीजी ने बताया कि घटना 9 अगस्त को अलीराजपुर जिले के नानपुर थाना क्षेत्र में हथनी डैम के पास घटित हुई। यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए थाना प्रभारी नानपुर के साथ पुलिस बल तैनात था तभी पुल के पास कुछ लड़के आपस में लड़ाई-झगड़ा करने लगे। थाना प्रभारी द्वारा उन्हें समझाया गया और वहां से जाने के लिए कहा गया जिसके बाद उन लोगों द्वारा पुलिस बल के साथ हाथापाई की गई। पुलिस द्वारा पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना नानपुर में रखा गया था। दिनांक 09.08.2019 को रात में थाना प्रभारी नानपुर और अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा गिरफ्तार आरोपियों के साथ मारपीट की गई। मामले की जांच के बाद दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। साथ ही अन्य 05 पुलिसकर्मियों को भी थाना नानपुर से हटाकर लाइन संबद्ध कर दिया गया है। मामले में दिनांक 14.10.2019 को एफआईआर दर्ज कर ली गई है, एससी/एसटी एक्ट की धारा भी लगा दी गई है। पीड़ितों को इसके नियमों के तहत देय राशि के 25 प्रतिशत की सहायता राशि भी वितरित की गई है। आरोपी पुलिस अधिकारियों व कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है।
6. आयोग द्वारा मामले में निम्नलिखित अनुशंसा की गई-
    - पुलिस महानिदेशक की ओर से राज्य के सभी थाना प्रभारियों को एक दिशा-निर्देश जारी किया जाए ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इस संबंध में कृत कार्रवाई की सूचना आयोग को दी जाए।
    - प्रशासन द्वारा अनुसूचित जनजाति के सभी पीड़ितों को मुआवजा की राशि अलग-अलग दी जाए।
    - अलीराजपुर जिले से बाहर के अनुसूचित जनजाति वर्ग के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए।
    - एससी/एसटी एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत नियत समय में जांच पूरी कर ली जाए।

कार्यवृत्त प्राप्त होने के पश्चात की गई कार्रवाई से 15 दिनों के अंदर आयोग को अवगत कराया जाए।

18.11.19

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- Press clipping/7/2019/Alirajpur(MP)/RU-III)

'द इंडियन एक्सप्रेस' समाचार पत्र के दिल्ली अंक में दिनांक 13.08.2019 को 'आदिवासियों को मध्यप्रदेश के अलीराजपुर जिले में पुलिस अभिरक्षा में पेशाब पिलाने' शीर्षक से समाचार प्रकाशित होने के मामले में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा संज्ञान लिया गया। आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री नंद कुमार साय जी की अध्यक्षता में दिनांक 16.10.2019 को दोपहर 12.30 बजे आयोग में आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची :-

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**

(1.)	श्री नंद कुमार साय,	माननीय अध्यक्ष महोदय
(2.)	श्री हरिकृष्ण डामोर,	माननीय सदस्य
(3.)	श्री हर्षदभाई चुन्नीलाल वसावा,	माननीय सदस्य
(4.)	श्री शिशिर कुमार रथ,	संयुक्त सचिव
(5.)	डॉ ललित लट्टा,	निदेशक
(6.)	श्री आर. के. दुबे,	स. निदेशक
(7.)	श्री विकास शर्मा,	कानूनी सलाहकार
(8.)	श्री आलोक कुमार द्विवेदी,	परामर्शक

- **पुलिस विभाग, मध्यप्रदेश**

(1.)	श्री वरुण कपूर,	एडीजी, इंदौर जोन
(2.)	श्री आर.ई.भास्कर,	एसडीओपी, अलीराजपुर

- **मध्यप्रदेश सचिवालय के अधिकारी**

(1.)	श्री सरोज चौकसे,	अतिरिक्त निदेशक (पीसीआर सेल)
(2.)	श्री सुधीर श्रीवास्तव,	एससीडी(पीसीआर सेल)